कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक–प.18( )न्याय/निषेधाज्ञा/2017/ 5292 दिनांक :– 10/07/17

आदेश

(अधीन धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973)

जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर से प्राप्त रिपोर्ट एवं विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जिले में सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने, असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियन्त्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु प्रतिबन्धात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में, मैं कुमार पाल गौतम, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर इस बात से पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जिला नागौर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की जावे। अतः उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं यह आदेश देता हूं कि जिला नागौर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में –

1. कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र–शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, राईफल, बन्दूक, एम.एल.गन, बी.एल.गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर–पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो,आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार यथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थलों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा। परन्तु वृद्ध,असहाय एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है, वे लाठी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे एवं सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।

   यह आदेश डयूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, डयूटी में तैनात अर्द्ध सैनिक बल, होमगार्ड पर लागू नहीं होगा।

2. किसी भी सार्वजनिक जुलूस, धरना, प्रदर्शन एवं सभाओं आदि में किसी भी समाज व जाति विशेष पर या अन्य किसी प्रकार से इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जावेगा जिससे कि कानून व्यवस्था, लोक शान्ति या सामाजिक सोहार्द बिगड़ने की संभावना हो ।

3. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर शांति व्यवस्था को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण या उद्‌बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पैम्फ्लेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवायेगा, न ही वितरण करेगा या वितरण करवायेगा, और न ही किसी ऐसे, एम्पलीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर ऑडियो–वीडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार–प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और ऐसे कृत्यों के लिये न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा।

4. कोई भी व्यक्ति किसी जाति/सम्प्रदाय के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक व राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा–लेखन या प्रतीक–चित्रण नहीं करेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आदि लगायेगा और न ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा।

5. रात्रि 10 बजे के पश्चात से लेकर प्रातः 6 बजे तक ध्वनि–विस्तारक यंत्रों का उपयोग एंव प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। उक्त अवधि के अलावा लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकेगा। राजकीय डयूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी इस शर्त से मुक्त होगें।

6. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब एवं अन्य मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।

7. कोई भी व्यक्ति 10 या 10 से अधिक वाहन एक साथ Convoy (काफिला) के रूप में लेकर नहीं चलेगा।

8. चूंकि विद्यमान परिस्थितियों एवं समयाभाव के कारण इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है। अतः एकपक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण को नागौर जिले के मुख्य मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

9. उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करवाया जावेगा।

10. यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

क्रमांक–सम/ दिनांक

क्रमांक–सम / 5293–5313

दिनांक 10/07/17

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान,जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संभागीय आयुक्त,अजमेर
4. महानिरीक्षक पुलिस, रेन्ज,अजमेर
5. जिला मजिस्ट्रेट–––––––––––––––समस्त
6. पुलिस अधीक्षक, नागौर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. पुलिस अधीक्षक–––––––––––––––समस्त
8. अति.जिला मजिस्ट्रेट, नागौर / डीडवाना
9. अति.पुलिस अधीक्षक, नागौर / डीडवाना
10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट––––––––––––
11. सहायक कलक्टर––––––––––––
12. वृत्ताधिकारी पुलिस,वृत्त,––––––––––––
13. विकास अधिकारी,पंचायत समिति–––––––––––––––
14. तहसीलदार,–––––––––––––––
15. थानाधिकारी, पुलिस थाना–––––––––––––––
16. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल–––––––––––––––
17. प्रभारी अधिकारी, पूल, कलेक्ट्रेट, नागौर
18. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, नागौर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
19. निजी सहायक,जिला कलक्टर / अति.कलक्टर , कार्यालय हाजा।
20. संरक्षित पत्रावली

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक : न्याय/2017/ 5314 दिनांक : 10.7.2017

आदेष अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

अद्योहस्ताक्षरकर्ता को जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिला नागौर के ग्राम सावंराद में कुख्यात अपराधी आनन्दपालसिंह के एनकाउन्टर एवं अन्तिम संस्कार को लेकर दिनांक 12.07.2017 को राजपूत / रावणा राजपूत समाज द्वारा प्रस्तावित हुंकार रैली/श्रद्धांजलि सभा/आक्रोश रैली के मद्देनजर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने, लोक शांति भंग होने तथा सामाजिक सौहार्द प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं लोक–शांति बनाये रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मैं, **कुमार पाल गौतम, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला नागौर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 2G/3G/4G/Data, Internet services, Bulk SMS, MMS, Whatsup,Facebook,Twitter and Other Social Media by Internet Service Provider (Except Voice call of landline, brodband and Mobile Phone) पर प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लागू करता हूँ।

मैं सभी नागरिकों तथा इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देष देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2017 को सांय 5.00 बजे से दिनांक 12.07.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक जिला नागौर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 10.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक : सम/5315-5327 दिनांक : 10/07/17

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. मुख्य सचिव, महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
5. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर।
7. अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर/डीडवाना।
8. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ...(समस्त)
9. उप अधीक्षक पुलिस, वृत ————————
10. अधिषाषी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, ————————
11. महाप्रबन्धक, बीएसएनएल, नागौर।
12. नोडल अधिकारी, टेलिकॉम कम्पनी, बीएसएनएल,एयरटेल, वोडाफोन, आईडिया, एयरसैल, एसटीएम, टाटा,रिलायन्स, रिलायन्सजीओ एवं अन्य सर्विस प्रोवाईडर यदि हो को पालनार्थ (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर)

(कुमार पाल गौतम)
जिला मजिस्ट्रेट, नागौर